



03DD 693944

मध्यप्रदेश शासन MADHYA PRADESH

लगानी भूमि का विक्रय पत्र कीमती 1,72,000-00 अक्षरी
एक लाख बहोत्तर हजार रुपये एवं बाजारमूल्य
21,87,000-00 (अक्षरी इक्कीस लाख सित्यासी हजार रुपये)

ब्लॉक तराना

स्टाम्प ड्युटी	1,64,025=00	भुअधिकार ऋणपुस्तिका नं एन - 108990
पचासवर्त ड्युटी	21,870=00	ग्राम चितावल्याखेडा पटवारी हल्का नम्बर
उपकर	8,202=00	06 राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 माकड़ोन तहसील
अधिक	03=00	तराना जिला उज्जैन में स्थित सिंचित भूमि
		जा रोड़ से हटकर अदर की ओर स्थित है

योग - 1,94,100-00 (एक लाख चौरानु हजार एक सौ रुपये)

नाम विकता -

रामसिंह पिता श्री सरूप जी जाति राजपूत आयु
65 वर्ष निवासी ग्राम चितावल्याखेडा तहसील
तराना जिला उज्जैन (म.प्र.)

नाम कता -

श्री कृष्णसिंह पिता श्री तुलेंसिंहजी जाति राजपूत
आयु 36 वर्ष निवासी ग्राम एवं पोस्ट लुहारी
तहसील झज्जर जिला झज्जर (हरियाणा)

कमश



मि. 3-शमसिंह

मि. 6-गान्ध



RC. 4/E/2014/B.S. 888/MS
MR. 2761/15



Free 1000

22000 - 20000

8191096
22000

22 पचास हजार मात्र
रु 29.16000

लेखापाल उप-जिला
हराना जिला (उज्जैन) (म.प्र.)
126554 2010
26 DEC 2010

क. - रामलाल श. लाल श. शिव विभावराज
क. - 22000/1000 रु. 29.16000 रु. 29.16000
वि (उज्जैन) रु. 29.16000
हराना

2
[Fingerprint]
म.प्र. शिवलाल

बनिल
[Signature]
[Stamp]

मुद्रांक शुल्क	1,64,025.00
नगरपालिका/नगरपालिका	
समायोजित शुल्क	21,870.00
उपकरण शुल्क	8,202.00
सहमती शुल्क	
अधिक शुल्क	0.3500
योग	1,94,100.00

P.8
उप-पंजीयक
हराना (म.प्र.)

रामलाल पिता सरपञ्ची

मेरे द्वारा उप-जिला, जिला उज्जैन के
उप-पंजीयक के कार्यालय में तारीख... 4 JAN 2010
को प्र.पु. / म.प. [Signature]
बजे प्रस्तुत किया गया।

P.8
उप-पंजीयक
हराना (म.प्र.)



4465

रसीद दस्तावेज वगैरह 01 (2)

मुकाम

821

दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
2	3	4
21 मई 10 21 87 0970 15	17671	
तारीख 4 JAN 2010	उप-पंजीयक	
	हफ्तवारी	
	एक लाख रुपये	

मध्य प्रदेश शासन MADHYA PRADESH

(2)

03DD 693943

विक्रय मूल्य

विक्रीत संपत्ति का मूल्य 1,72,000-00 अक्षरी एक लाख बहोत्तर हजार रुपये तय हुआ जो विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है अतः विक्रय मूल्य पेटे कोई रुपया लेना शेष नहीं रहा है।

विक्रीत भूमि विवरण

सर्वे नं.	रकबा	लगान
101	0.24	16.00
144	0.75	
357	0.12	
359	0.20	
360	0.51	
365	0.33	
412 / 677	0.72	
427	1.24	

योग 8 4.11 16.00

विक्रेता द्वारा यह विक्रय पत्र क्रेता के पक्ष में निम्नानुसार निष्पादित किया जा रहा है :-

क्रमशः.....



नि. अ. शमसिंह

हस्ताक्षर





लेखापाल (उप-कोषालय)
वाराणसी जिला उच्च न्यायालय (न.प्र.)

12/6 DEC 2010

र०००
४११/०७००
३००००

२७.१२.०००९

विक्रेता :- रामसिंह पिता सरनपुत्री

जाति-राजपूत

मि० :- चितावल्लभारकेटा तह तारना

क्रेता :- श्री धनसिंह पिता तुलसिदेवी जाति राजपूत

मि० :- लुहारी तह सज्जर जिला सज्जर (हरियाणा)

जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ

सबको दूना है कि, तथ्यतः

विहीनपत्र विलेख का विधान

१/- इसका मूल्य १,७२,०००.००

रु०/रु०/रु०

प्रतिफल की प्रकृत्य स्पष्ट है

बच गई है जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी।

① श्रीरामसिंह पिता रामसिंहजी सौ० राजपूत मि०- चितावल्लभारकेटा तह तारना

② श्रीधनसिंह पिता धनसिंहजी सौ० राजपूत मि०- चितावल्लभारकेटा तह तारना

③ चंदरसिंह पिता गणपतजी गुजर मि०- लुहारी तह तारना

की जॉय पूर्वाप्त निष्पादक/अभिकर्ता

की शिनाख्त के बिना में को गई।

आज दिनांक 4 JAN 2010

उप-कोषालय
वाराणसी (न.प्र.)





मध्य प्रदेश शासन MADHYA PRADESH

03DD 693945

(3)

1. यह कि विक्रेता को रूपयों की निजी आवश्यकता होने से विक्रेता ने उपरोक्त वर्णित भूमि क्रेता को मय मौजूदा हक्क अधिकार, सुखाधिकार तथा वहीवाट सहित विक्रय कर सम्पूर्ण विक्रय मूल्य विक्रेता ने क्रेता से नगद प्राप्त कर लिया है अब कोई रूपया लेना शेष नहीं रहा है । भविष्य में कम रूपया मिलने या अथवा नहीं मिलने के संबंध में विक्रेता या उसके वारिसान कोई आपत्ति नहीं करेंगे यदि किसी प्रकार की आपत्ति भविष्य में आती है तो उसके लिये विक्रेता पूर्ण रूप से जवाबदार रहेगा उसका क्रेता पर कोई भार नहीं होगा ।

2 यह कि विक्रीत भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद स्वत्व अथवा आधिपत्य को लेकर पूर्व में नहीं रहा है । विक्रीत भूमि के स्वत्व आधिपत्य से संबंधित कोई प्रकरण पूर्व में किसी न्यायालय में नहीं चला है न वर्तमान में कोई प्रकरण किसी न्यायालय में विचाराधीन है । विक्रीत भूमि किसी मंदिर, मस्जिद, वक्फ आदि की नहीं है, भूमि के विक्रय के संबंध में किसी प्रकार की कोई रोक या स्थगन किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है । विक्रीत भूमि पूर्ण रूप से अविवादित होकर भूमि में स्वच्छ विक्री योग्य अधिकार विक्रेता को प्राप्त होने से भूमि विक्रय कर सम्पूर्ण प्रतिकूल विक्रेता ने प्राप्त किया है तथा मौके पर प्रत्यक्ष रूप से विक्रीत भूमि का आधिपत्य क्रेता को सौंपकर क्रेता की मालिकी कायम करवाई है ।

क्रमशः



कि. 3. शासिंह

रजि. शासिंह





90862429

7191090
24000

$$\frac{24000}{1} + \frac{20000}{2} + \frac{9200}{2} + \frac{9000}{8}$$

$$\frac{2000}{9} + \frac{200}{5} + \frac{900}{9} = 988900$$

एक एक लाख छह हजार
रु० 29.66000 एम० एन०

कि. -> 2 लाख 56 हजार 210

रु. -> 2 लाख 56 हजार 210

कि. उदाहरण के लिए 2 लाख 56 हजार 210

14 JAN 2010

सेवा उप कोष
वसुधा विभाग (न.प्र.)

उप निदेश
वसुधा विभाग
(न.प्र.)



उपरोक्त निष्पादक/पालक/अधिकारी
का निशान मेरे समक्ष तारीख
को लिखा गया।

4 JAN 2010

उप निदेश
वसुधा विभाग
(न.प्र.)

26/1/10



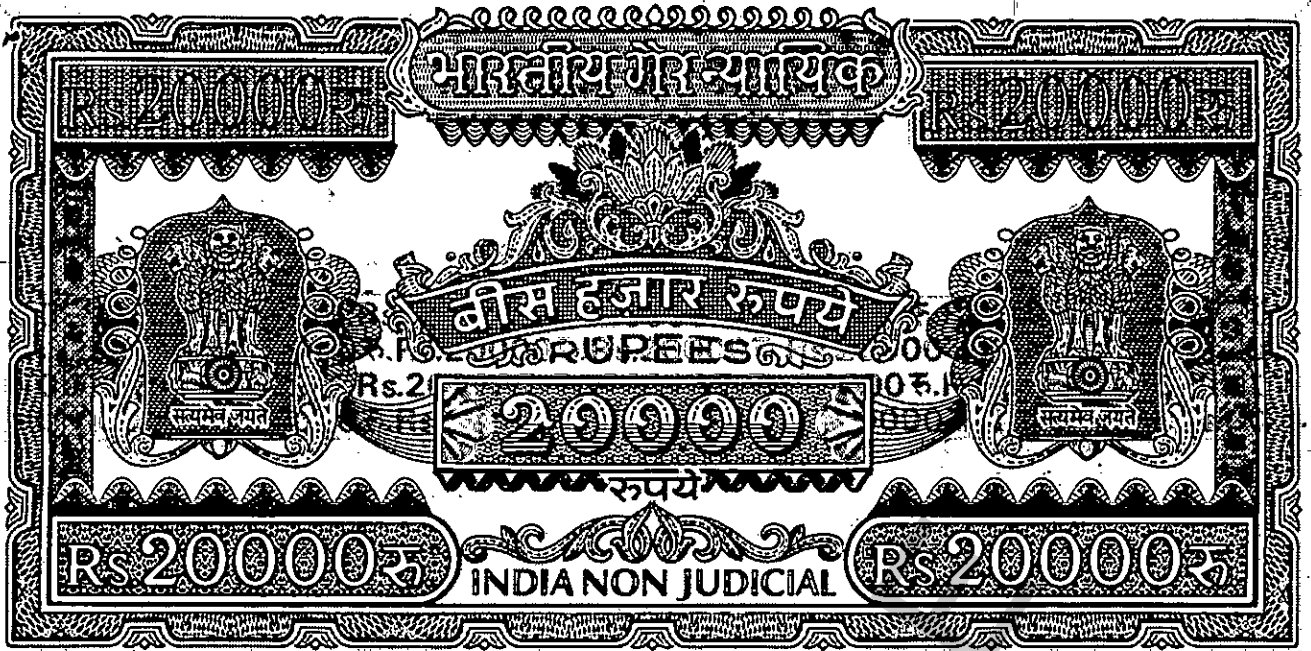
उपरोक्त निष्पादक/पालक/अधिकारी
का निशान मेरे समक्ष तारीख
को लिखा गया।

4 JAN 2010

उप निदेश
वसुधा विभाग
(न.प्र.)

26/1/10





मध्य प्रदेश शासन MADHYA PRADESH

03CC 265730

(4)

3. यह कि विक्रीत भूमि की पर्याप्त कीमत आई है इससे अधिक कीमत नहीं आ सकती है ।

4. यह कि विक्रीत भूमि में जो जो हक्क, स्वत्व, आधिपत्य एवं वहीवाट तथा सुखाधिकार, के जो अधिकार विक्रेता को प्राप्त थे वह समस्त अधिकार आज दिनांक 04/01/2010 से ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट के तहत कंता में निहित हो गये हैं, विक्रीत भूमि में विक्रेता का अब कोई हक्क स्वत्व या आधिपत्य शेष नहीं रहा है ।

5. यह कि विक्रीत भूमि पर से विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेख में से कंता इस विक्रय विलेख के आधार पर कम करवाकर अपने नाम का नामांतरण करवाने का हक्कदार हो गया है उसमें विक्रेता या उनके वारिसान कोई आपत्ति नहीं करेंगे, तथा नामांतरण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे ।

6. यह कि विक्रीत भूमि पर से विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेख में से कंता इस विक्रय विलेख के आधार पर कम करवाकर अपने नाम का नामांतरण करवाने का हक्कदार हो गया है उसमें विक्रेता या उनके वारिसान कोई आपत्ति नहीं करेंगे, तथा नामांतरण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे ।

क्रमशः.....

नि. 3. रामनिह

हस्ताक्षर





१०४६६
४१११०१०
२००००

२१.१६००९

लेखपाल उपकोषालय
वराना जिला उज्जैन (म.प्र.)

9 DEC 2009

अरेन्द्र मोदी
राज्य मंत्री
व. व. व. व.

NOT FOR SALE





मध्य प्रदेश शासन MADHYA PRADESH

03CC 265732

(5)

8. यह कि विक्रय शुदा भुमि विक्रेता के एकल स्वामित्व आधिपत्य की होने से विक्रय की गई है इसके उपरांत भी यदि विक्रेता के स्वत्व दोष या अन्य कानूनी वजह से विक्रीत भुमि का कब्जा क्रेता के पास से भविष्य में चला जाता है तो ऐसी दशा में विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशी मय बाजार धारा अनुसार व्याज एवं विक्रीत भुमि में भविष्य में किये जाने वाले खर्च सहित विक्रेता से व उसकी हर प्रकार की चल अचल संपत्ति से वसूलने का हक्कदार क्रेता रहेगा उसमें विक्रेता या उनके किसी भी वारिसान की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

9. यह कि विक्रय शुदा भुमि या उसके किसी भाग को पूर्व में विक्रेता ने किसी भी व्यक्ति विशेष, बैंक, शासकीय अर्द्धशासकीय वित्तीय संस्था को किसी भी प्रकार से विक्री गिरवी दान या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं की गई है भुमि पूर्ण रूप से भारमुक्त होकर फ्रीहोल्ड की है, इसके उपरांत भी यदि पूर्व का कोई ऋण भार किसी व्यक्ति या बैंक अथवा वित्तीय संस्था का उपरोक्त भुमि पर निकलता है तो उसकी अदायगी के लिये विक्रेता पूर्ण रूप से जवाबदार रहेंगे उसका क्रेता पर कोई भार नहीं होगा ।

10. यह कि विक्रीत भुमि विक्रेता ने परिवार के सभी सदस्यों की सहमती से किया है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है भविष्य में किसी की आपत्ति मान्य नहीं होगी ।



मि. उ. शर्मा

कगशः

26/12/2





90866
8771090
20000

27.66000

4 JAN 2010

लेखापाल अप्कोषालय
तराणा जिला उज्जैन (म.प्र.)

रिजल्ट एडिटर
काम धर
13. 12. 2009

NOT FOR SALE





मध्य प्रदेश शासन MADHYA PRADESH

03BB 319687

(6)

11. यह कि विक्रय शुदा भूमि के विक्रय से सिलिंग विधान का उल्लंघन नहीं होता है ।
12. यह कि विक्रीत भूमि के विक्रय से म0प्र0 भु0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6,7) अथवा इसकी किसी भी अन्य उपधाराओं का कोई उल्लंघन नहीं होता है । विक्रेता की जाति अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत नहीं आती है ।
13. यह कि विक्रय शुदा भूमि विक्रेता को भू-दान या शासकीय पट्टे पर मिली हुई नहीं है ।
14. यह कि विक्रय पत्र उभय पक्ष के वारिसान पर भी समान रूप से लागू एवं बंधनकारक रहेंगा ।

अतः उपरोक्त अनुसार सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करना तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि का कब्जा मौके पर सौंपना स्वीकार कर विक्रेता ने यह विक्रय पत्र केता के

कमशः



दि. 31. 2. 2018

26/11/18



90861
8191090
92000

29. 6. 2009

से. पब्लि. रज. को. मालय
प्रसा. जिला. उज्जैन (य. ग.)

25 NOV 2009

बि. ए. ए. ए.
बि. ए. ए. ए.
बि. ए. ए. ए.

NOT FOR SALE





मध्य प्रदेश शासन MADHIA PRADISH

03BB 319692

(7)

हित में बिना किसी दबाव एवं बिना किसी नशेपानी के पूर्ण होश हवास में गवाहों के समक्ष निष्पादित किया सो सही समय पर काम आवे ।

नाट - इस विक्रय पत्र में श्री से अंत तक कोई काटपीट नहीं है ।

दिनांक - 04 जनवरी 2010

साक्षीगण -

1. श्री. रामसिंह

भरुसिंह पिता रामसिंह जी सोधिया राजपूत
निवासी ग्राम बितावल्या खेड़ा तहसील तराना
जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश)

श्री. डा. रामसिंह
हस्ताक्षर केता

०४/०१/१०

2. श्री. रामसिंह

कलाशचन्द्र पिता मदनलाल जी जाति लोहार
निवासी पटेल कालोनी आगर जिला राजापुर

मेरे निर्देशन एवं कार्यालय में
टंकित किया गया

3. श्री. अ. च. दरसिंह

चंदरसिंह पिता गणपतजी जाति गजूर
निवासी ग्राम दुमनी तहसील तराना

D. K. Nagar Advocate
Tarana





9086e
8191098
92600

29.6.2009

4 JUL 2010

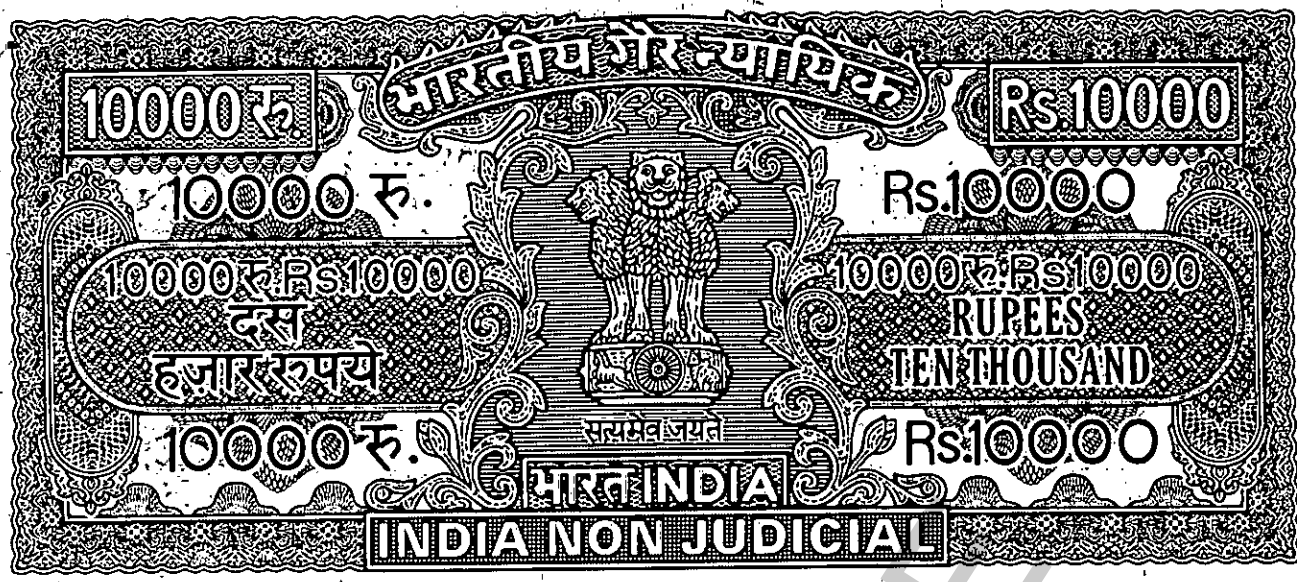
लेखनाथ उ कोषालय
तराणा जिला उज्जैन (म.प्र.)

राम लाल
जान दोडा
[Signature]

NOT FOR SALE

RECEIVED
JUL 10 2010





मध्य प्रदेश शासन MADHYA PRADESH

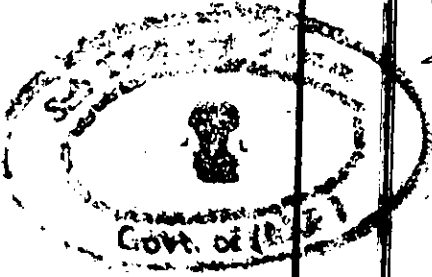
05AA 561896

NOT FOR SALE



मि. डी. राधाकृष्ण





90888
8191090
90000

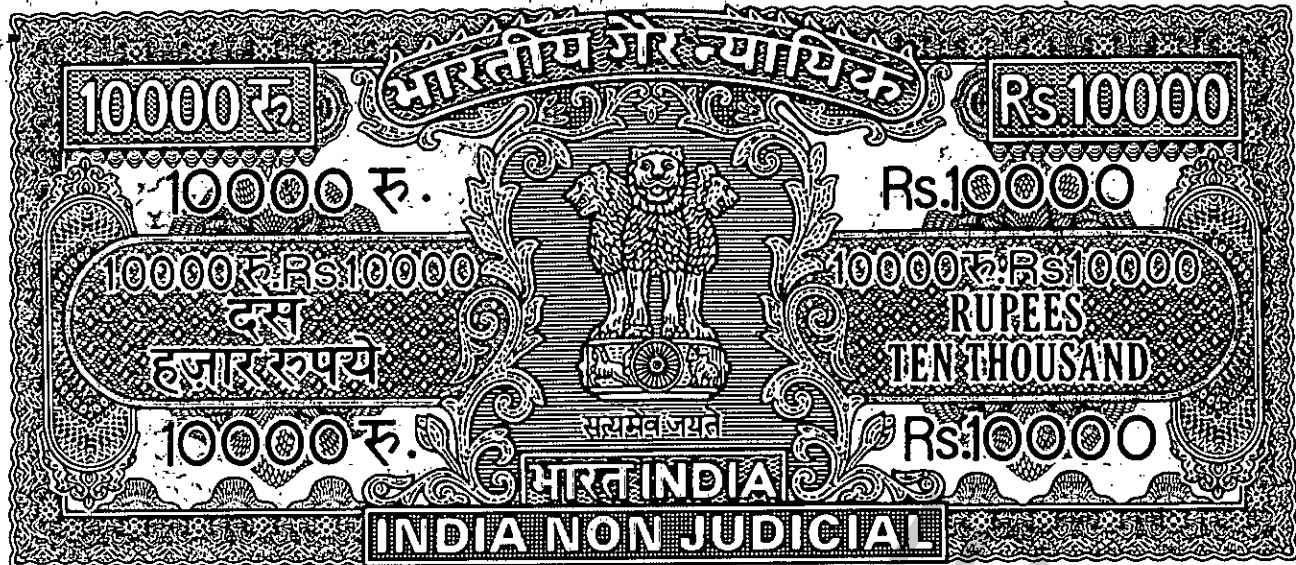
29.66000

मैदापल्ली उम सोपाबय
तराणा जिला उज्जैन (म.प्र.)
19 DEC 2009

विनोद पटेल
नाम देना
रा. वराह

NOT FOR SALE





मध्य प्रदेश राज्य MADHYA PRADESH

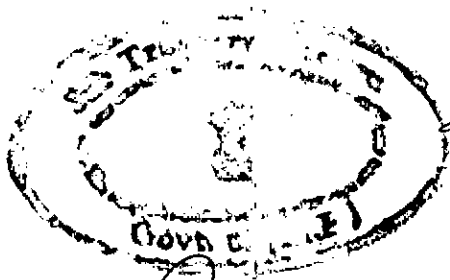
05AA 561897

NOT FOR SALE



कि. ड. रागसिंह





90819
8171090
90000

सौ. धनंजय लाल
हरना जिला रजिस्ट्रार (न.प्र.)
9 DEC 2009

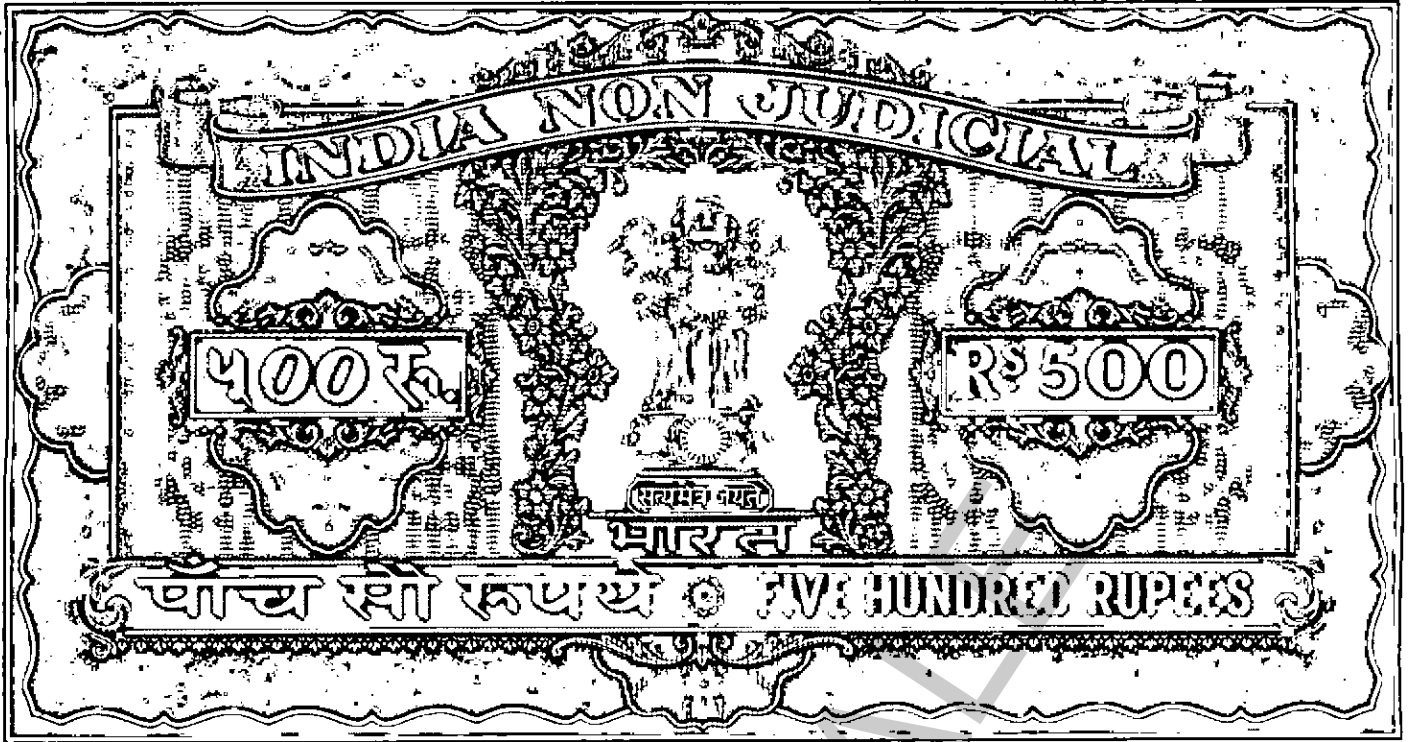
27.6000

सौ. धनंजय लाल
हरना जिला रजिस्ट्रार
10 दिसंबर

NOT FOR SALE



500Rs.



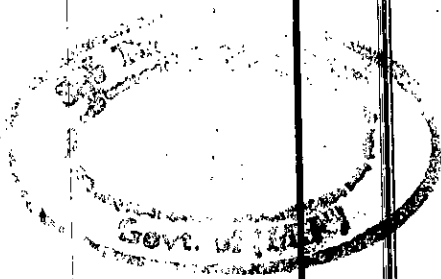
मध्यप्रदेश शासन MADHYA PRADESH

09/1975



मि. 3. रामसिंह





908/E
8791090
2009

23 DEC 2009

लेखापाल उप कोषालय
वराणा जिला उज्जैन (म.प्र.)

27.6000

सिरेन्द्र प्रताप
राम कृष्ण
पु. वराणा

NOT FOR SALE



12

18

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

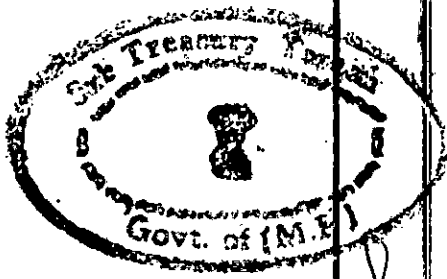
454010

NOT FOR SALE



वि. ३. शंभुसिंह





90012
8191090
90009

12/12/29

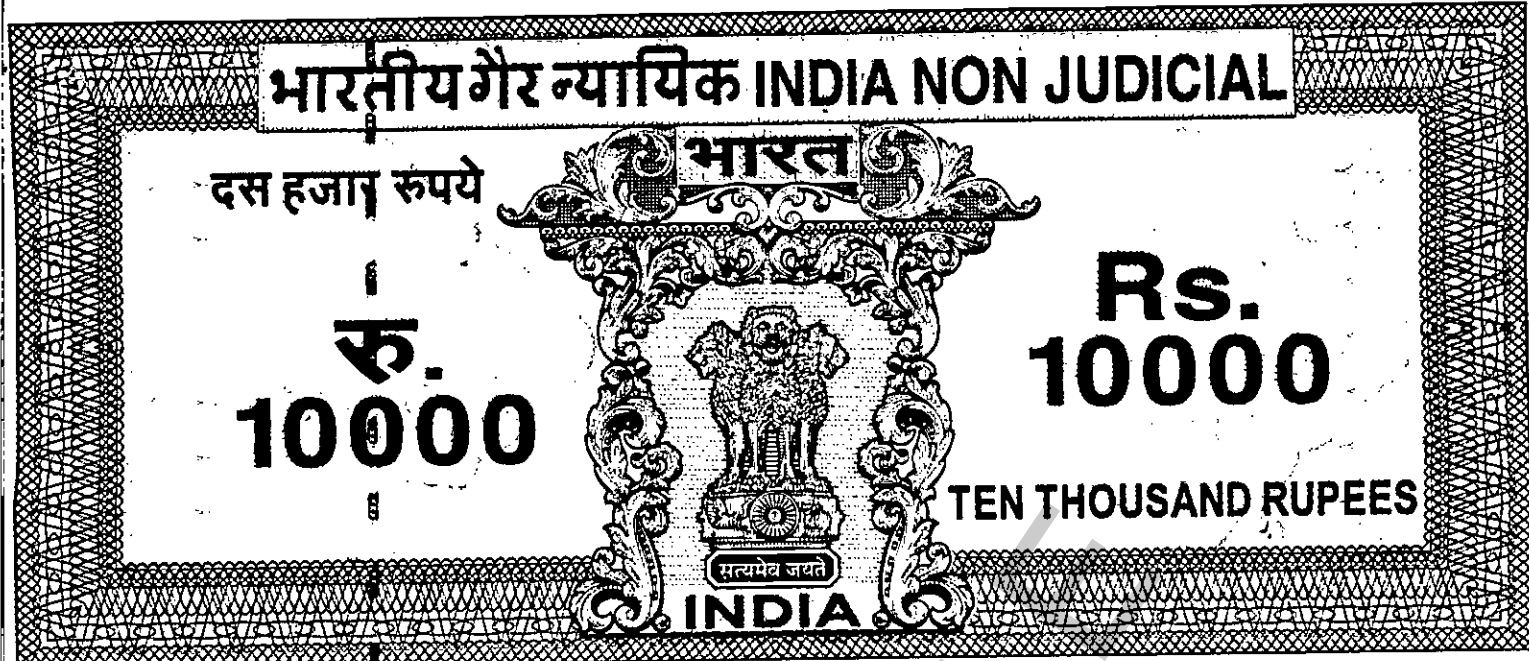
लेखापाल उप कोषागार
हरना जिला उज्जैन
16 DEC 2019

29.6000

बरेल्ल अटोम
काप देवरा
व. व. व.

NOT FOR SALE





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

454016

NOT FOR SALE



रि. 3. रा. फि. ६





900000
8791090
900000

87.66000

लेखापाल उप कोषालय
वराना जिला उज्जैन (म.प्र.)

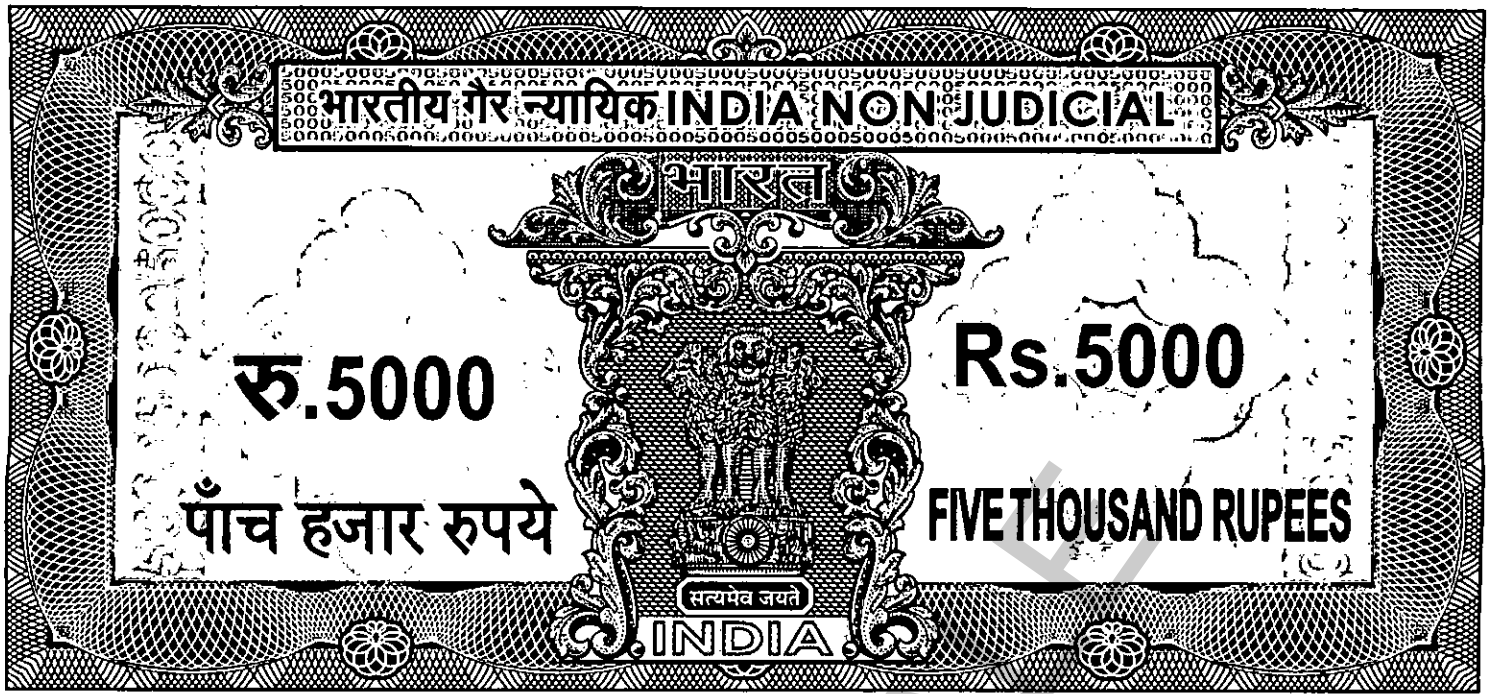
30 DEC 2010

30 DEC 2010

NOT FOR SALE



14



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

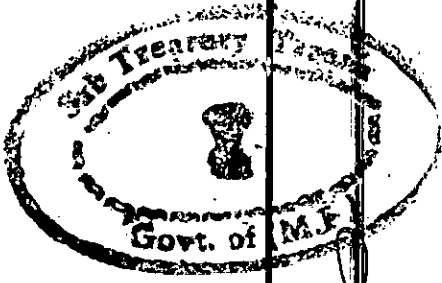
510163

NOT FOR SALE



नि.ड रागीर





908/8
8/9/09
2009

125

लेखापाल उप कोषालय
तराणा जिला उज्जैन (म.प्र.)

16 DEC 2009

M

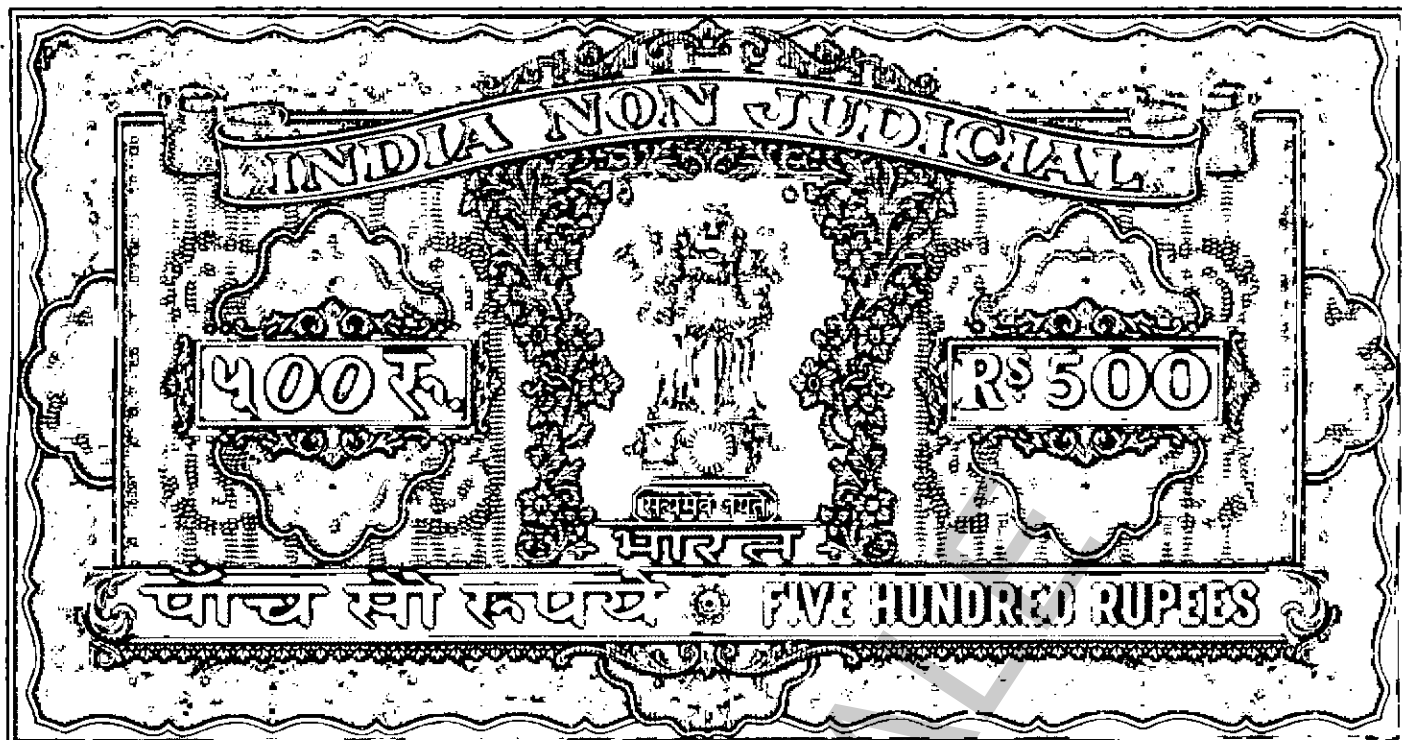
27.16009

अरिन्दम मोदी
आम्र क्षेत्र
पु. वडाका

NOT FOR SALE



500Rs.



मध्यप्रदेश शासन MADHYA PRADESH

00167



डि. 3. 21/11/18





90872
279/1090
200

23 DEC 2009

लेखापाल उप कोषालय
तराणा जिला उज्जैन (म.प्र.)

29.16000

महेश्वर सिंह
प्रधान, पंचायत
पञ्च. वाराणसी

NOT FOR SALE



500Rs.



मध्यप्रदेश शासन MADHYA PRADESH

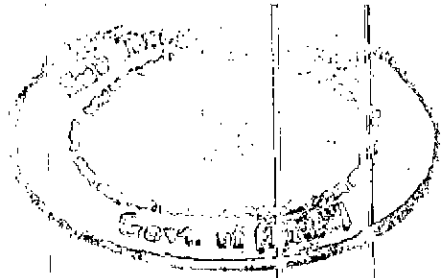
001078

NOT FOR ST



वि. ३, रा. म. सि. ६





90086
8171090
200

20.1.6000

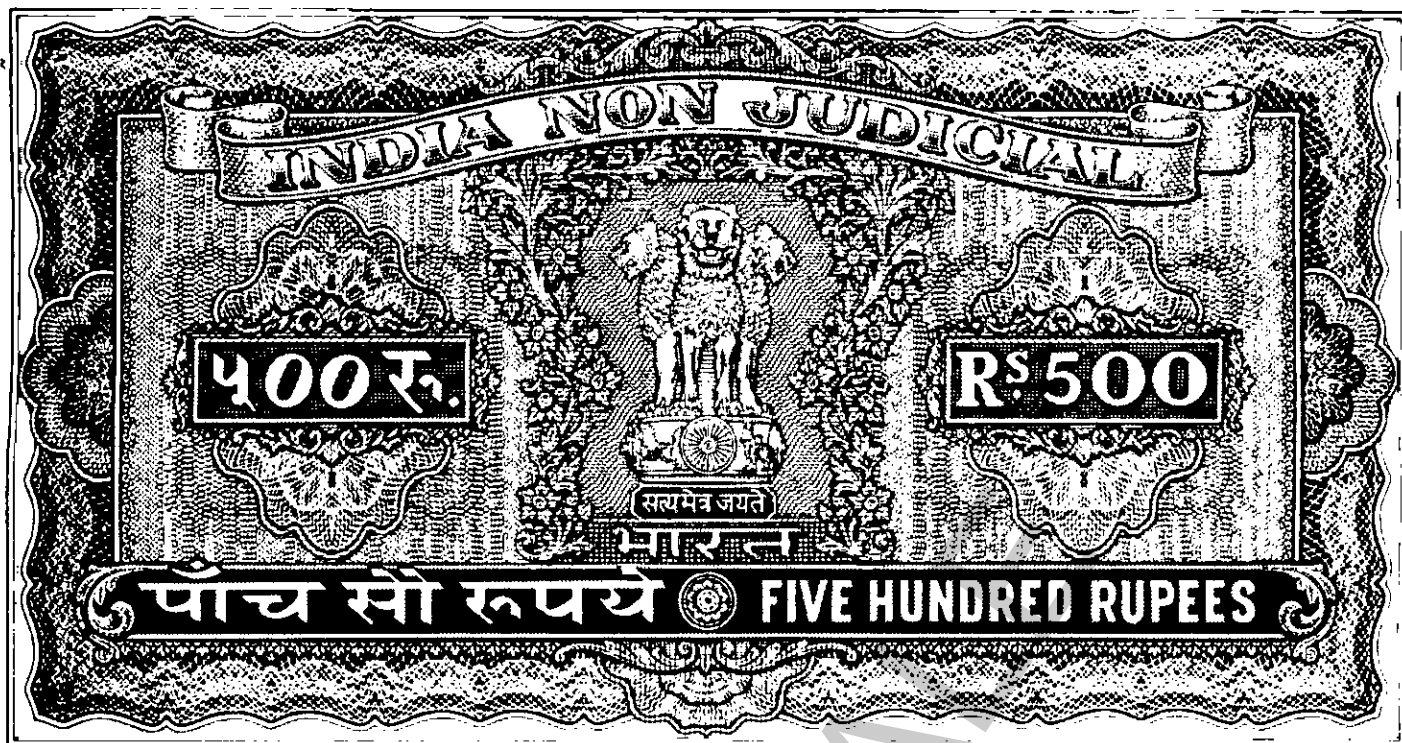
23 DEC 2009
लेखापाल उप कार्यालय
वाराणा जिला उज्जैन (म.प्र.)

जय श्री गणेश
जय श्री गणेश
जय श्री गणेश

NOT FOR SALE



17
500Rs.



समयपत्र १ १९५५ २२१०२५

१९५५

WALC
1955
1955

NOT FOR SALE



कि.ड. शर्मासिंह





90877
8191090
200

23 DEC 2009
23 12 09

लेखापाल उप कोषालय
वराणा जिला उज्जैन (म.प्र.)

20.12.09

रविंद्र कुमार शर्मा
राम चंद
CC-0000

NOT FOR SALE



500Rs.



मध्यप्रदेश शासन MADHYA PRADESH.

001972

NOT FOR ST



मि. 3 रा. मि. ६





90872
8191090
200

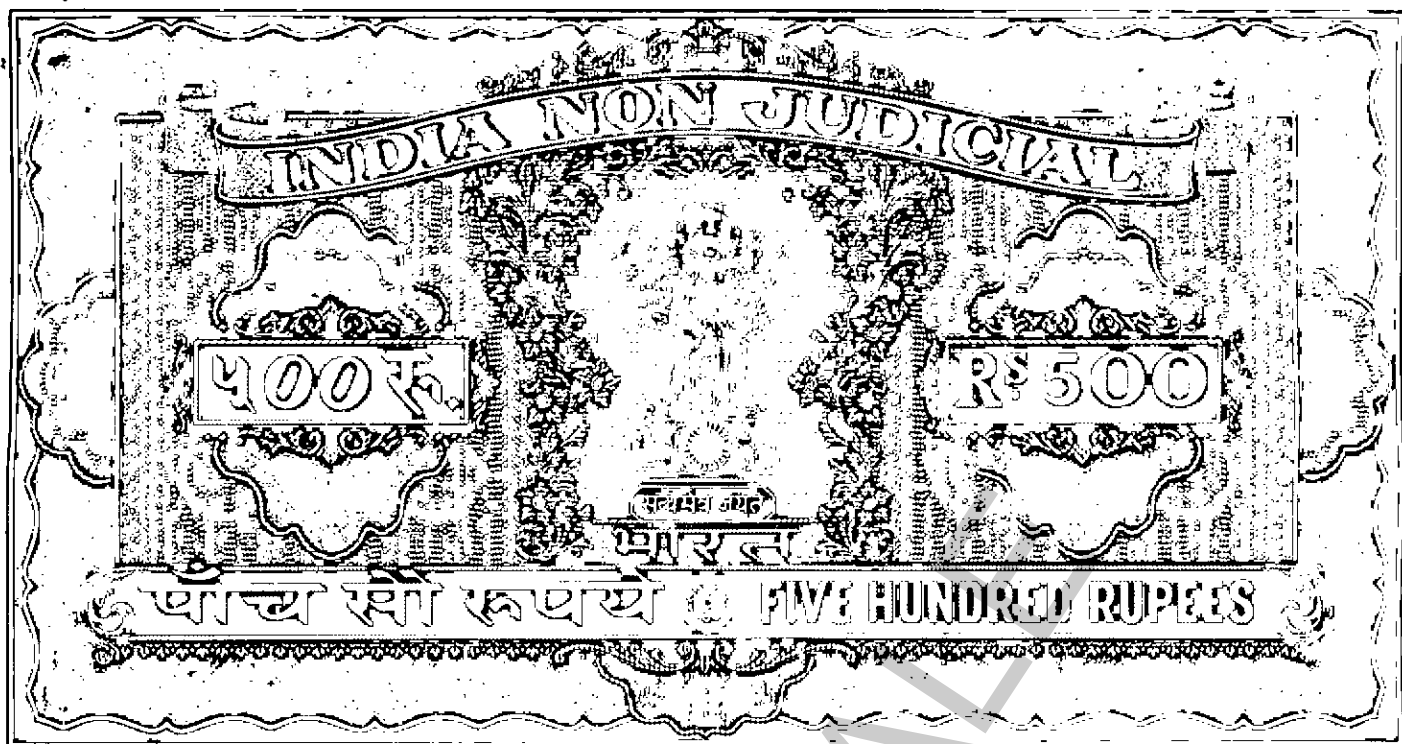
23 DEC 2009
लेखापाल उप कार्यालय
वाराणसी जिला उज्जैन (म.प्र.)

20/12/09

NOT FOR SALE

बिरेन्द्र चटोपा
स्थान दोहरा
वृ. पत्राचार





मध्यप्रदेश शासन MADHYA PRADESH

10/10/77



रि.क. शक्ति





90000
2771090
200

23 DEC 2009

लेखापाल उप कीषालय
सरावा जिला उज्जैन (म.प्र.)

27.12.09

NOT FOR SALE

नरेश्वर प्रदीप
स्वास्थ्य सेवा
पु. रसायन



500Rs.



मध्यप्रदेश शासन MADHYA PRADESH

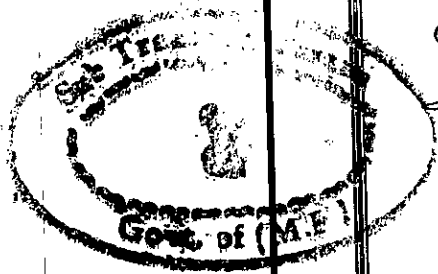
19/1/2009

NOT FOR ST



कि. 3. रंजना सिंह





90829

2/9/09
200

23 DEC 2009

23/12/09

लेखापाल अा कापालय
तरावा जिला उज्जैन (म.प्र.)

29.16000

करेण्डा सुटोका

कागज बोका

स.स. सुटोका

NOT FOR SALE



500Rs.



मध्य प्रदेश शासन MADHYA PRADESH

1991



श्री. ड. रामलाल



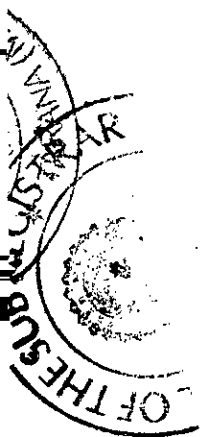


90802
8191090
era

607

29.16000

लेखापाल जल संयंत्र
वराना जिला उत्तर प्रदेश (म)
26 DEC 2009



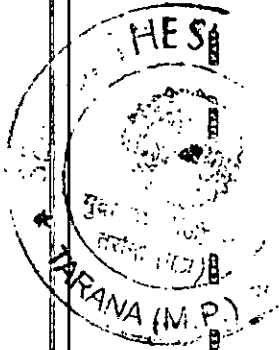
NOT FOR SALE





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

L 421084



कि. 3. रामसिंह



RM 20.56000



रूप-पञ्चिक
संख्या (म.प्र.)

सचिव-अधीनस्थ
महाराष्ट्र (न.प्र.)

RECEIPT

I, Ram Singh S/o Sarup ji Rajput R/o Gram Chitawalya Khedha Tehsil Tarana Dist Ujjain (M.P.) received a sum of Rupees 1,72,000/- (Rupees One Lakh Seventy two Thousand Only) From Kirshan Singh S/o Tule Singh V.P.O Luhari Disst. Jhajjar Haryana as full and final settlement of sale consideration for total land admeasuring 4.11 Hectare comprising.

Survey No.	Area in Hectare
101	0.24
144	0.75
357	0.12
359	0.20
360	0.51
365	0.33
412/677	0.72
427	1.24

Total S.Y. No. 8	4.11 Hectare
------------------	--------------

Situated at Village Chitawalya Khedha Tehsil Tarana dist Ujjain (M.P.)
(Hereinafter referred to as the "Said Land") Which I have agreed to sell to the said
Kirshan Singh S/o Tule Singh . Under an agreement to sell dated 04.01.2010
Executed on this 04 th day of Jan. 2010

PLACE – TARANA

EXECUTANT



24

POSSESSION LETTER

I Ram Singh S/o Sarup ji Rajput below mentioned agriculture land/properties, do hereby convey vacant, peaceful possession of same admeasuring 4.11 hect.

Survey No.

Area in Hectare

R/o Gram Chitawalya Khedha Tehsil Tarana Dist Ujjain (M.P.)
Heving executed sale deed dated 04.01.2010 and having received full and final consideration for the

Survey No.

Area in Hectare

101

0.24

144

0.75

357

0.12

359

0.20

360

0.51

365

0.33

412/677

0.72

427

1.24

Total S.Y. No. 8

4.11 Hectare

Situated at Village Chitawalya Khedha Tehsil Tarana dist Ujjain (M.P.) to Krishan singh S/o Tule Singh R/o V.P.O. Luhari Distt. Jhajjar Haryana.

Executed on this 04 th day of Jan. 2010

PLACE - TARANA

EXECUTANT



4464

रसीद दस्तावेज संग्रह

मुकाम

25

दस्तावेज की तहसील वारी व कीमत या दस्तावेज की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदा के छोटे दस्तावेज
2	3	4
श्री ए.एल. घटीदा छोटा राम	300	
तारीख	उप-पंजीयक	
4 JAN 2010	उप-पंजीयक	
	राजा जिन्दा उज्जैन (म.)	

Office

Nayapura Road [Near of court area]

Tarana dist. Ujjain Mob. 9893091476

Residence : 22, Chhota Ram Mandir Path Tarana

दिनांक - 04.01.2010

सर्व रिपोर्ट

मुझ अभिभाषक द्वारा ग्राम चितावल्या खेड़ा तहसील तराना जिला उज्जैन म.प्र. के कृषक श्री रामसिंह पिता सरूपजी जाति राजपुत निवासी ग्राम चितावल्या खेड़ा तहसील तराना जिला उज्जैन (म.प्र.) के स्वामित्व आदि आपत्य की भूमि सर्वे नं. 101 रकबा 0.24, सर्वे नं. 144 रकबा 0.75, सर्वे नं. 357 रकबा 0.12, सर्वे नं. 359 रकबा 0.20, सर्वे नं. 360 रकबा 0.51, सर्वे नं. 365 रकबा 0.33, सर्वे नं. 412/677 रकबा 0.72 सर्वे नं. 427 रकबा 1.24 कुल सर्वे नं. 8 कुल रकबा 4.11 हेक्टर लगान 16.00 रुपये की भूमि के स्वत्व के विषय में मेरे द्वारा भूमि का सर्वे उपलब्ध करवाये गये रेकार्ड एवं खसरा बीवन, ऋणपुस्तिका के अनुसार किया गया, सर्वे में मेरे द्वारा पाया कि कृषक श्री रामसिंह पिता सरूपजी जाति राजपुत निवासी ग्राम चितावल्या खेड़ा तहसील तराना जिला उज्जैन (म.प्र.) उपरोक्त वर्णित भूमि सर्वे नं. 101 रकबा 0.24, सर्वे नं. 144 रकबा 0.75, सर्वे नं. 357 रकबा 0.12, सर्वे नं. 359 रकबा 0.20, सर्वे नं. 360 रकबा 0.51, सर्वे नं. 365 रकबा 0.33, सर्वे नं. 412/677 रकबा 0.72 सर्वे नं. 427 रकबा 1.24 कुल सर्वे नं. 8 कुल रकबा 4.11 हेक्टर लगान 16.00 रुपये का पूर्ण रूप से भूमिस्वामी एवं मालिक है, उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा बीवन (बी-1, पी-2) के अनुसार शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है, यह मैंने प्रमाणित पाया है।

ए.एल.घटीदा अभिभाषक
तराना जिला उज्जैन



पं

कार्यालय नगर पंचायत/ग्राम पंचायत चित्तौड़गढ़ जिला

जनपद पंचायत

नरसिंह

जिला

उज्जैन

(म. प्र.)

मूल निवासी प्रमाण-पत्र

26

क्रमांक

दिनांक / /

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी राम सिंग जी पिता/पति/पालक श्री स्वरूप सिंग जी
जाति सोनी मारवाड़ा पुता उपजाति सोनी मारवाड़ा पुता मूलनिवासी चित्तौड़गढ़ जिला पटवारी ह.नं. 6
नगर पंचायत/ग्राम पंचायत चित्तौड़गढ़ जिला वार्ड क्र. 7 विकासखंड तारागा तहसील तारागा
जिला उज्जैन ये मध्यप्रदेश मध्य प्रदेश के स्थायी मूल निवासी हैं।

मैं आवेदक को अच्छी तरह से पिछले बाबुलाल लोधा वर्षों से जानता हूँ।

1. इनका ग्राम / नगर / चित्तौड़गढ़ जिला में इनका निजी मकान है। जो सम्पत्ति कर रजिस्टर में 500000 लाख सिरियल नं. 475 पर दर्ज है व इनकी वार्षिक आय रुपयों में 90000 हजार है।
2. इसके तरह ग्राम पंचायत का किसी प्रकार की राशि लेना शेष है / शेष नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार इनका चरित्र उत्तम है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

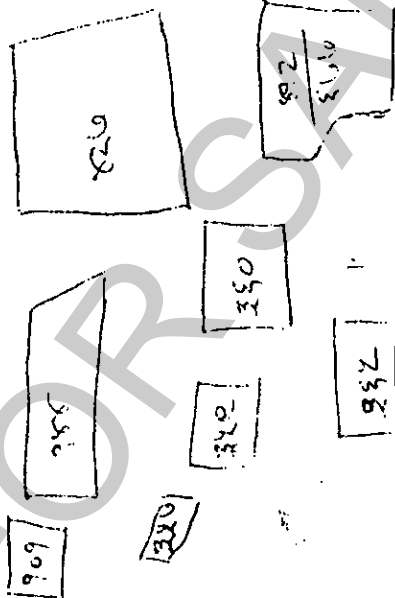
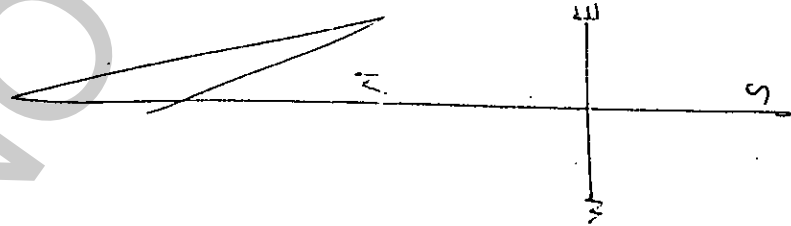


हस्ताक्षर पद

प्राप्ति स्थल - जैन बुक स्टॉल, माकड़ोन



नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



प्रमाणित किया गया
प्रमाणित किया गया



NOTES

✓

उज्जैन

तयना जिला

द्वयम्

रा.नि.मं.



[illegible]

जिला

वर्ष

072841880

[illegible]

आयुक्त भू-अभिलेख एवं चन्दोदस्त कार्यालय न.प्र.



प्रतिलिपि

रा.नि.मं. ^{हेल्का} इमका

तहसील

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि छाती में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई है एक से अधिक कब्जेदार हो तो प्रत्येक का हिस्सा और देय राजस्व या लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी बीचसी कारतकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के फसल उगाई	फसल का नाम
1	2	3	4	5	
	०.२४०	रामसिंह पिता सरूपजी जामि राजपूत वसत नि. धर्म भूमि स्वामी भूमि-नं० २०००		भयिवांन महेश विपुल	
	०.२५०	रामसिंह पिता सरूपजी वशरह न. २०२		धर्म	
	०.२५०	रामसिंह पिता सरूपजी वशरह न. २०२		धर्म	
	०.२५०	रामसिंह पिता सरूपजी वशरह न. २०२		भयिवांन महेश विपुल	
	०.५१०	रामसिंह पिता सरूपजी वशरह न. २०२		भयिवांन महेश विपुल	
	०.३३०	रामसिंह पिता सरूपजी वशरह न. २०२		भयिवांन	अ
	०.३२०	रामसिंह पिता सरूपजी वशरह न. २०२		सायाचम	अ
	१.२४०	रामसिंह पिता सरूपजी वशरह न. २०२		मक्या + मोगाना आरु चना	अ मि मि
	०.८५०	रामसिंह पिता सरूपजी वशरह न. २०२		भयिवांन	अ अ



Duplicate

N क्रमांक

108990

मध्यप्रदेश शासन



30

भू - अधिकार

एवं

ग्रहण पुस्तिका

भाग - १

नाम काशतकार

रामसिंह मित्त स्वामी

नि ग्राम भूमि स्वामी

ग्राम

रामसिंह मित्त चित्तौड़

मूल्य

६

मूल्य दस रुपये प्रति सेट



शासकमुद्रा - 218/29-03-08-2000

प्रस्तावना

इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य किसानों के खातों, हुकों, लगान, तकाली आदि का पूरा-पूरा हिसाब रखना है, इसमें किसानों को सहकारी और व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिये गये कर्ज और उनकी वसूली का भी पूरा-पूरा हिसाब-खोखा रखा जाता है, मतलब यह है कि किसानों के हिसाब-किताब सही रहे और उन्हें सकारण बैंकों से कर्ज लेने में कोई दिक्कत न हो।

अतः यह जरूरी है कि इस पुस्तिका के लेख नवीनतम रहें किसानों को भी चाहिये कि वे हमेशा इस पुस्तिका में नवीनतम अभिलेख कराते रहे। इसे संभाल कर रखा जाना चाहिये, क्योंकि इसके खो जाने पर फिर से तमाम दफ्तरी और बैंकों से रिकार्ड पूरा करवाने में बड़ी कठिनाई होगी।

किसानों के साथ-साथ बैंकों, दफ्तरों, सहकारी संस्थाओं का भी यह फर्ज है कि वे इस हिसाब के रिकार्ड को पूरा करने में जरा भी देरी न करें और सारी प्रविष्टियां तुरन्त की जावे। इस संबंध में अगर कोई भी दिक्कत हो, तो काफ़ी जल्दी से तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी और जरूरत पड़ने पर कलेक्टर से शिकायत करें। इन किताबों के रिकार्डों को पूरा करने में जो भी कर्मचारी सुस्ती, लापरवाही या बदनियती बरतेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

राजस्व मंत्री

महत्वपूर्ण हिदायत

- (1) भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भाग 1 व 2 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें कि 10 वर्ष तक आवश्यक इन्द्राज किये जावेंगे।
- (2) इस पुस्तिका के भाग-1 "भू-अभिलेख" में आवश्यक जानकारी पटवारी द्वारा भरी जाकर राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जावेगा।
- (3) उसके खाते में जो तब्दीलात होगी वह राजस्व निरीक्षक द्वारा भाग-2 "अधिकार अभिलेख" में भरी जावेगी।
- (4) उसकी भूमि का जो हस्तांतरण होगा उसका इन्द्राज सब-रजिस्ट्रार द्वारा भाग-3 "भूमि हस्तांतरण" के विवरण में दर्ज किया जावेगा।
- (5) सहकारी एवं व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो दीर्घ, मध्यम और अल्पकालीन ऋण दिया जावेगा उसका इन्द्राज उस बैंक या सहकारी समिति के अधिकारी द्वारा भाग 4 एवं 5-"दीर्घ एवं मध्यम और अल्पकालीन ऋण के विवरण" में किया जावेगा।

सामान्य

- (6) खातेंदार को चाहिये कि वे इस पुस्तिका में उक्तानुसार भरवायें और यदि कोई ऐसा करने से जवाब न दे तो उसे शिकायत संबंधित तहसीलदार या कलेक्टर से करें।

